

११ काले दूर्लभ पृष्ठ १२-१३

न्यायालय उपजिलाधिकारी मंड़ानपुर कौशाम्बी

वाद रख्या ३२

सन् 2012

जनर्गत घासा 143 उत्तर प्रदेश जंगली एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम।

ग्राम— वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर जनपद कौशाम्बी

मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज — बनाम — सरकार उत्तर प्रदेश

प्रस्तुत वाद वादी मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज वैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र राजनवानू निवासीग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर द्वारा इस अभिकथन के साथ दाखिल किया है कि आराजी संख्या ५९४ स्थित भैजा वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर जनपद कौशाम्बी की भूमिघरी थी जो दर्ज खातेदार मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज वैशकांटी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजनवानू निवासी ग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर जनपद कौशाम्बी के नाम अंकित है। उक्त भूखण्ड पर भवन निर्माण हो चुका है उक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं होता है बल्कि राजस्व अभिलेखों में शैक्षिक संस्थान के नाम अंकित है। उक्त भूखण्ड आज की तिथि पर अकृषिक है और भूमि पर डिग्री कालेज बना है जिसमें शैक्षणिक कार्य अनवरत हो रहा है। उक्त भूखण्ड को अन्तर्गत घासा 143 जंगली अधिनियम के तहत अकृषिक घोषित किया

गया।

वाद उपरोक्त की जांच तहसीलदार मंड़ानपुर से करायी गयी। तहसीलदार मंड़ानपुर की जांच जायका दिनांक 10-9-2012 द्वारा कहा गया है कि ग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर की खरांनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या २८५ गाटा संख्या ५९४ रक्वा १.०८६ हेठो पर मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज वैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजनवानू निवासीग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर जनपद कौशाम्बी के नाम बतौर संकरणीय भूमिघर जारिये अंकित हैं। प्रस्तुत भूमि आराजी संख्या ५९४ रक्वा १.०८६ पर वर्तमान समय घर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि पर बाउण्डी बनी है तथा विद्यालय की बिलिंग बनी है।

NOTARIAL इन्हाँ भूमि गांव रामधनी य भूदान की नहीं है। प्रस्तुत भूमि में उक्त महाविद्यालय निर्मित और शिक्षण जर्य अनवरत चालू है। अतः ग्राम वैशकांटी की खरांनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या २८५ गाटा संख्या ५९४ रक्वा १.०८६ हेठो जो मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज वैशकांटी कौशाम्बी के नाम अंकित है, को घासा 143 जंगली अधिनियम के अन्तर्गत गैर कृषिक घोषित किये जाने हेतु आस्था प्रेषित है।

मैंने वादी पक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साहस्रों एवं तहसीलदार मंड़ानपुर साथ्यका दिनांक 10-9-2012 का सम्यक् अध्ययन एवं अपलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साथ्यों का रपट है कि ग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर की खरांनी सन् 1415 लगायत 1420 फसली के खाता संख्या २८५ गाटा संख्या ५९४ रक्वा १.०८६ हेठो पर मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज वैशकांटी कौशाम्बी द्वारा प्रबन्धक रामसुन्दर सिंह पुत्र श्री राजनवानू निवासीग्राम वैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़ानपुर जनपद कौशाम्बी के नाम बतौर संकरणीय भूमिघर जारिये अंकित हैं। प्रस्तुत भूमि आराजी संख्या ५९४ रक्वा १.०८६ पर वर्तमान समय पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि पर बाउण्डी बनी है तथा विद्यालय की बिलिंग बनी है। प्रस्तुत भूमि गांव जमा

प्रबन्धक वैशकांटी जैशाम्बी

मुंशी रामधनी जगरूप सिंह डिग्री कालेज
वैशकांटी कौशाम्बी

२१-१०-१२

इ मुद्रान की नहीं है। प्रश्नगत गृहि में उक्ता नहाविधालय निर्मित और शिक्षण कार्य अनवरत चालू है।
इसलिये विवादित आराजी को अकृषिक घोषित किया जाना विधिक एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम बैशकांटी परगना करारी तहसील मंड़नपुर स्थित गाटा संख्या 594 रक्षा 1.086 हेठो
अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार मंड़नपुर की आख्या दिनांक 10-9-2012 जिस पर प्रदर्श
क-1 एवं नजरी नक्शा दिनांक 7-9-2012 जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित है, इस आदेश का अंग
होगा। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाय। याद आवश्यक कार्यपाली पत्रावली दाखिल
करतर हों।

प्रधानमंत्री
मंड़नपुर

RSSK
प्रबन्धक
मुख्य रामणी जगन्नप सिंह हिंदी कलेज
डॉक्टरी कौशलवी



५
७०

३४

20-9-2012

पुस्तकालय का नंबर 21-9-2012

नम्बर २१-९-२०१२

दिनांक 21-9-2012

क्रमांक 195 छात्रकला संस्कृति
पैकी ७-००

प्राचीन शिल्पोत्तम
प्राचीन—शिल्पोत्तम